प्रेस–विज्ञप्ति दिनांक 14.06.2017

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई में कार्यरत् दो कर्मचारी जो लगातार 07 वर्ष से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे उनके विरुद्ध जांच पश्चात् अंतिम सूचना पत्र जारी कर आयुक्त के0एल0 चौहान ने सेवा समाप्त का आदेश जारी किया है।

सहायक मिस्त्री केजऊ राम साहू एवं हेल्पर रुपेश ताम्रकर जो नियमित सेवा में कार्यरत् थे वे 2010 से बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रुप से अपने कार्य से अनुपस्थित थे इसके विरुद्ध वर्ष 2011 में विभागीय जांच संस्थित किया गया और वर्ष 2013 में पत्र जारी कर आरोपित कर्मचारियों को बयान दर्ज करने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये उसके पश्चात् भी दोनों कर्मचारी अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए परिणाम स्वरुप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धाराओं का उल्लेख करते हुए आयुक्त श्री के0एल0 चौहान ने तिजऊ राम साहू तथा रुपेश ताम्रकर की सेवा समाप्त करने के आदेश क्रमांक एफ/863/सा.प्र.वि. के तहत् जारी किये है।

जनसम्पर्क अधिकारी